उत्तर प्रदेश:

1. वर्ष 2000-2001 के दौरान किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ में अभिघात केन्द्र की स्थापना करने के लिए 150.00 लाख रुपये।

उत्तरांचल:

1. वर्ष 2002-2003 के दौरान दून अस्पताल, देहरादून की आपात सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 150.00 लाख रुपये।

2. वर्ष 2002-2003 के दौरान, गोवर्धन तिवारी बेस अस्पताल, अल्मोड़ा की आपात सुविधाओं का उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 150.00 लाख रुपये।

3. वर्ष 2003-2004 के दौरान जिला अस्पताल, गोपेश्वर, चमोली जिला में आपात सुविधाओं का उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 150.00 लाख रुपये।

मध्याह्न 12.00 बजे

प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य

महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री (डा. मनमोहन सिंह): अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति के संबंध में माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दे के संदर्भ में मैंने यह आश्वासन दिया था कि मैं मामले का अध्ययन करने के बाद एक वक्तव्य दूंगा।

जहां तक महाराष्ट्र का संबंध है, वर्ष 2003-04 में महाराष्ट्र सरकार ने 11 जिलों के 71 तालुकों जो राज्य का 28 प्रतिशत क्षेत्र है, को सूखा प्रभावित घोषित किया था। स्थापित पद्धति के अनुसार, सहायता देने पर विचार किया गया और यह पाया गया कि राज्य 119.92 करोड़ रुपये के लिए पात्र है बशर्ते कि बकाया राशि का राज्य के आपदा राहत कोष में समायोजन किया जाए। नोडल गृह मंत्रालय द्वारा ऐसा समायोजन करने के बाद, महाराष्ट्र को राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष से 77.46 करोड़ रुपए रिलीज किए गए और 400 करोड़ रुपए मूल्य का 4 लाख टन खाद्यान्न भी आवंटित किया गया।

राज्य सरकार द्वारा और सहायता की मांग का मूल्यांकन करने के लिए 2 से 5 अप्रैल, 2004 के दौरान एक केन्द्रीय दल ने महाराष्ट्र का दौरा किया। इस दल की रिपोर्ट के आधार पर यह पाया गया कि राज्य सरकार 201.16 करोड़ रुपए पाने की पात्र है बशर्ते कि बकाया राशि का आपदा राहत कोष में समायोजन किया जाए। आपदा राहत कोष में समायोजन करने के बाद दिनांक 3 जून, 2004 को राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष से राज्य को 165.33 करोड़ रुपए रिलीज किए गए। इसके अलावा, राज्य को दिनांक 22 जून, 2004 को लगभग 300 करोड़ रुपए मूल्य का 3 लाख टन खाद्यान्न भी रिलीज किया गया। इस राशि को मंजूर करने का निर्णय दिनांक 28.5.2004 को महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री के नेतृत्व में राज्य के मंत्रियों के एक शिष्टमण्डल के साथ हुई मेरी बैठक के दौरान लिया गया। वर्ष 2003-04 के सूखे के लिए राज्य को जो कुल सहायता दी गई उसमें आपदा राहत कोष के केन्द्रीय अंश के रूप में 208.14 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष से 242.79 करोड़ रुपए तथा 700 करोड़ रुपये मूल्य का 7 लाख टन खाद्यान्न रिलीज किया गया।

उसके बाद, राज्य सरकार ने एक और ज्ञापन दिया जिसमें मानदण्डों में छूट देते हुए 914.97 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता की मांग की गई। इस ज्ञापन पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष से मंजूरी हेतु दिनांक 14.7.2004 को एक उच्च स्तरीय समिति ने विचार किया। यह निर्णय लिया गया है कि आपदाओं के लम्बे समय तक बने रहने की स्थिति में सहायता के मानदण्डों में संशोधन करने पर सामान्य तौर पर विचार किया जाए। इस प्रयोजन के लिए संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधियों तथा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के राहत आयुक्तों की एक समिति गठित की गई है जिसके अध्यक्ष कृषि सचिव हैं। समिति जल्दी ही उच्च स्तरीय समिति को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। यदि समिति अधिक आवंटन की सिफारिश करती है तो इस पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाएगा।

जहां तक चालू वर्ष में मानसून की स्थिति का संबंध है, 1 जून से 14 जुलाई, 2004 के बीच कुल 264 मि.मी. वर्षा हुई जबकि सामान्य वर्षा 291.8 मि.मी. होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि वर्षा सामान्य से 10 प्रतिशत कम रही। कुल 36 मौसम उप-केन्द्रों में से 20 में सामान्य/अधिक वर्षा रिकार्ड की गई है जबकि 16 मौसम उप-केन्द्रों में कुल वर्षा कम/अल्प दर्ज की गई है।

आंध्र प्रदेश के तेलंगाना और रायलसीमा क्षेत्रों, महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान, दक्षिणी पंजाब, हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और झारखंड में अब तक सामान्य वर्षा की तुलना में कम वर्षा हुई है जो 25 प्रतिशत से 51 प्रतिशत के बीच है।

कृषि मंत्रालय स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए है। कृषि मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारियों, जो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के प्रभारी हैं, को निर्देश दिया गया था कि वे इन राज्यों का दौरा करके जमीनी हालात का जायजा लें तथा आकस्मिक फसल योजना और इसके ब्यौरे तैयार करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ चर्चा करें अधिकारियों ने इन राज्यों में सूखा राहत प्रबंध आयोजना की भी समीक्षा की है।

महोदय, इन सभी राज्यों में फसल बुआई का मौसम वर्षा के देरी से आने के कारण जुलाई के अन्त तक बढ़ गया है। कितने क्षेत्र में बुआई नहीं हो पाई है, इसका सही-सही आकलन जुलाई के बाद ही किया जा सकेगा। इसलिए, सूखा राहत उपायों के अंतर्गत रोजगार सृजन के आकलन पर जुलाई के बाद ही विचार किया जाएगा। सभी राज्य सरकारों ने अपनी-अपनी योजनाएं तैयार की हैं ताकि पानी की कमी की स्थिति में कम/अल्प वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

मैंने स्वयं भी संबंधित मंत्रियों और सचिवों के साथ दिनांक 9 जुलाई, 2004 को स्थिति की समीक्षा की है जिसके बाद मैंने मंत्रिमंडल सचिव को कहा कि वे हर सप्ताह स्थिति की समीक्षा करे। मंत्रिमंडल सचिव ने 13 जुलाई को पहली निगरानी बैठक बुलाई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि वर्षा की कमी वाले क्षेत्रों में खाद्यान्न की मात्रा बढ़ाई जाए। मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देता हूं कि सरकार सूखे की स्थिति में लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): अध्यक्ष जी, लगातार सूखे के कारण *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने एक विस्तृत वक्तव्य दे दिया है।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: सर, हम प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं। मैं सिर्फ एक मिनट बोलना चाहता हूं। जो बयान प्रधान मंत्री जी ने सदन में दिया है, हम उसके लिए प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन लगातार सूखे के कारण पिछले वर्ष महाराष्ट्र में जिन 235 किसानों द्वारा आत्महत्या की गई है, उसके बारे में एक भी सेन्टेन्स प्रधान मंत्री जी के पूरे बयान में नहीं बताया है। हम मांग करते हैं कि आंध्र प्रदेश में किसानों द्वारा आत्महत्या करने पर, जैसे प्रधान मंत्री जी आंध्र प्रदेश गये थे, वैसे ही प्रधान मंत्री जी महाराष्ट्र के किसानों द्वारा आत्महत्या करने के मामले में महाराष्ट्र का दौरा करें। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। मैं किसी और को अनुमति नहीं दूंगा।

अपराह्न 12.08 बजे

सभा पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभा पटल पर पत्र रखे जायें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी यहां बैठे हैं, प्रधान मंत्री जी सदन को बतायें *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): महोदय, मैं श्री पी. चिदम्बरम की ओर से वित्त मंत्रालय की वर्ष 2004-05 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 331/04]

अध्यक्ष महोदय: श्री महावीर प्रसाद।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।